खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री अरूण कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री अरूण कुमार सिंह उपस्थित।

17.11.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि प्रशाखा पदाधिकारी श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपीलार्थी श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, वजीरगंज, गयाजी सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा दायर किया गया है।

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निहित प्रावधान के तहत अपीलार्थी के द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश ज्ञापांक–2998/खाद्य, पटना दिनांक–11.07.2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार, वैशाली के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (VIII) के तहत श्री सिंह को मूल वेतनमान पर अवनति की शास्ति अधिरोपित करने का दण्ड संसूचित है।

संक्षेप में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलार्थी पर आरोप है कि ये अपने पदस्थापित क्षेत्र में लगातार शराब के नशे में कार्यावधि में रहते थे एवं उक्त के कारण दिनांक–16.11.2021 को इनके द्वारा गाँधी उच्च विद्यालय, सहदेई में ई०भी०एम० सिलिंग स्थल पर नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में थानाध्यक्ष, सहदेई बुजुर्ग द्वारा गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज किया गया एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन करने जैसे कुल–11 आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक–1145, दिनांक–11.12.2021 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

विभाग के द्वारा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने पत्रांक–418, दिनांक–25.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या–01 एवं 02 को छोड़कर शेष सभी आरोपों का प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–2319, दिनांक–26.05.2023 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा/बचाव बयान की मांग की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब विभाग को नहीं दिया गया बल्कि तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया, जिसे विभाग के द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। शराब का सेवन करने संबंधी आरोप के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि ब्रेथ एनालाईजर मशीन से शराब पीने संबंधी जाँच में श्री सिंह का टेस्ट रिजल्ट 0.58Mg/L पाया गया, जिससे इनके द्वारा शराब का सेवन किये जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ETHYL ALCOHAL was detected in the contents of plastic EDTA vial marked 'A' and 'B' AS DESCRIBED ABOVE- Ethyl Alcohal is the chief intoxicating ingredient of all alcoholic beverages. विभाग के द्वारा श्री सिंह का द्वितीय कारण–पृच्छा का जवाब/बचाव बयान पूर्ण रूप

से स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–03, 05, 06, 07, 09, 10 एवं 11 प्रमाणित है।

अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपने स्पष्टीकरण/बचाव बयान में स्पष्ट किया गया है कि इनके विरूद्ध संचालित करायी गई विभागीय कार्रवाई में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 में अनिवार्य प्रावधानों की उपेक्षा/अनदेखी होने के बावजूद भी यांत्रिक तरीके से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित को बिना किसी समीक्षा/विवेचना के ही दंड संसूचित किया गया है। इनका यह भी कहना है कि इनकी सेवानिवृति दिनांक–28.02.2025 को निर्धारित है। इनके द्वारा विभाग के द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक–2998/खाद्य, पटना दिनांक–11.07.2023 के अवलोकन, अपीलार्थी के द्वारा दायर बचाव बयान, साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने बचाव में कोई भी नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि पूर्व में कही गई बातों को ही तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त तिथि एवं समय पर शराब के नशे में थे, जो एक गंभीर अपराध है।

फलतः विभागीय आदेश ज्ञापांक–2998/खाद्य, पटना दिनांक–11.07.2023 के द्वारा पारित अधिरोपित आरोप में किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव विभाग के द्वारा पारित दंड को यथावत रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार अपील अभ्यवेदन अस्वीकृत।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(वैशाली)–16/2021(खंड)– 3593 खाद्य, पटना/दिनांक– 11/12/25

प्रतिलिपि–1. महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी एवं वैशाली/उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली एवं गयाजी/अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, वैशाली एवं गयाजी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री अरूण कुमार सिंह (सेवानिवृत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी), पत्राचार पता – C/0-Late Rana Chandradep Prasad Singh, Road No.-5B, House No.-19, Indrajpuri, Patliputra, Patna, मोबाईल सं0–9006674566, E-Mail-moarun18@gmai.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/25
(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(वैशाली)–16/2021(खंड)– 3593 खाद्य, पटना/दिनांक– 11/12/25

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/25
सरकार के संयुक्त सचिव।